



212

क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 962/NGT-143/OA-196/22/2024

दिनांक 29/07/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Response on behalf of UPPCB in compliance of order dated 12.07.2024 issued by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench New Delhi in OA No- 196/2022 (MA No-38/2023) in the matter of Hariom Gupta Vs Nagar Palika Parisad Loni & Ors.

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above the in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 12.07.2024 in OA No-196/2022 Hariom Gupta & Ors. Versus Nagar Palika Parishad, Loni & Onr., response is hereby submitted before the Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure: As above.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

- 1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
- 3- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
- 4- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

213
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Pallika Parishad & Ors.

...Respondent(s)

Response on behalf of UPPCB in compliance of order dated 12.07.2024 issued by Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench New Delhi in OA No-196/2022 (MA No-38/2023) in the matter of Hariom Gupta Vs Nagar Palika Parisad Loni & Ors.

- 1- That, in compliance of order dated 12.07.2024 issued by Hon'ble National Green Tribunal Order, U.P. Pollution Control Board vide its letter dated 27.06.2024 has imposed environmental compensation of Rs. 2,25,00,000/- (Two Crore Fifty Five Thousand only) against Nagar Pallika Parishad, Loni, Ghaziabad. A true copy of said letter dated 26.07.2024 is attached herewith.
- 2- That, in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 12.07.2024 prosecution against Nagar Pallika Parishad, Loni, Ghaziabad is to be filed before the Hon'ble Court of Special Judicial Magistrate (Pollution), Lucknow within 15 days.

The above report is being submitted before the Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.



(Vikas Mishra)
Regional Officer



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- 1/4879 /C-1/न०पा०प०-०६/पर्या०क्षति०/2024

Date: 28/7/24

सेवा में

पंजीकृत

मैसर्स नगर पालिका परिषद,
लोनी,
गाजियाबाद।

विषय:-इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 09886/सी-1/न०पा०प०-०६/पर्या०क्षति०-का०ब०न०/2024 दिनांक 24.04.2024 के माध्यम से नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त के अनुक्रम में अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा 21.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पालिका परिषद, लोनी द्वारा नगरी क्षेत्र से जनित सीवरेज उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस०टी०पी० की स्थापना नहीं की गयी है, न ही जल निकासी की समुचित व्यवस्था है, जिसके कारण शिकायती स्थल पर जल भराव की समस्या अभी भी विद्यमान है तथा आस-पास के क्षेत्र से प्रवाहित घरेलू सीवरेज उत्प्रवाह उक्त क्षेत्र में भरा हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 1846/एन०जी०टी०-143/2023 दिनांक 28.12.2023 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद को जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर कार्यालय में अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुये रू० 2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पचीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में दोषी इकाई मैसर्स नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद के विरुद्ध रू० 2,25,00,000/- (रू० दो करोड़ पचीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net /DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति- Water Pollution
2. Regional Office/क्षेत्रीय कार्यालय- Bareilly
3. EC imposed in compliance/अनुपालन में ई०सी० लगाया गया UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1